



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09072020-220435
CG-MH-E-09072020-220435

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ 10, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASHADHA 10, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुम्बई, 1 जुलाई, 2020

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 - विनियम 164क के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के संबंध में कीमत-निर्धारण का विकल्प

- 164ख.** (1) बारंबार व्यापारित शेयरों के मामले में, अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के अनुसरण में आबंटित (अलॉट) किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कीमत विनियम 164 या विनियम 164ख (जो भी विकल्प के तौर पर चुना जाए) के अनुसार तय की जाएगी।
- (2) अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के अनुसरण में आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कीमत उससे कम नहीं होगी, जो निम्नलिखित में से अधिक हो:
- (क) सुसंगत तारीख से पहले के बारह सप्ताहों के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों का औसत; या
- (ख) सुसंगत तारीख से पहले के दो सप्ताहों के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा भारित औसत कीमतों (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों का औसत।
- (3) उप-विनियम (2) के तहत दी हुई कीमत-निर्धारण की पद्धति अपनाकर अधिमानी आधार पर आबंटित (अलॉट) की गई निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) तीन वर्षों की अवधि तक रुद्ध (लॉक-इन) रहेंगी।
- (4) उप-विनियम (2) के तहत दी हुई कीमत-निर्धारण की पद्धति 1 जुलाई, 2020, या इस विनियम के अधिसूचित होने की तारीख से, जो भी बाद में आए, और 31 दिसम्बर, 2020 के बीच लाए जाने वाले अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के माध्यम से किए जाने वाले आबंटन के मामले में अपनाई जाएगी।
- (5) शेयरधारकों से ली गई एक ही मंजूरी के तहत किए जाने वाले सभी आबंटनों (अलॉटमेंट) के संबंध में कीमत-निर्धारण की एक ही पद्धति अपनाई जाएगी।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./105/2020-21]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा

- (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2019/08, द्वारा
- (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2019/29, द्वारा
- (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/35, द्वारा
- (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/42, द्वारा
- (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/47, द्वारा
- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2020/01, द्वारा
- (झ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/011, द्वारा
- (ञ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2020/18, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,-

I. After regulation 164 A, the following new regulation shall be inserted, namely,-

“Optional pricing in preferential issue

164B. (1) In case of frequently traded shares, the price of the equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue shall be determined by regulation 164 or regulation 164B, as opted for.

(2) The price of the equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue shall not be less than the higher of the following:

- (a) the average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on the recognised stock exchange during the twelve weeks preceding the relevant date; or
- (b) the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the related equity shares quoted on a recognised stock exchange during the two weeks preceding the relevant date.

(3) Specified securities allotted on a preferential basis using the pricing method determined under sub-regulation (2) shall be locked-in for a period of three years.

(4) The pricing method determined at sub-regulation (2) shall be availed in case of allotment by preferential issue made between July 01, 2020 or from the date of notification of this regulation, whichever is later and December 31, 2020.

(5) All allotments arising out of the same shareholders approval shall follow the same pricing method.”

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT-III/4/Exty./105/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2019/05.

- (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
- (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
- (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
- (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
- (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
- (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
- (i) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
- (j) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
- (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.